न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 49 / 2019 वाद — दायर दिनांक 03.07.2019

उनवान

1. शंकरलाल पिता सोहनलाल प्रजापत आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

बनाम

1. अन्जु पुत्री मोहन ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मनीषा पुत्री मोहन ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. रतन पुत्र मोहन ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. रतनी पुत्री मोहन ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. शंकरलाल पुत्र नारायण ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. सीमा पुत्री मोहन ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ. (राज0)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री राधेश्याम वैष्णव — —वादी

एकतरफा — —प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः **13.02.2024**

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा ग्राम करूंकडिया पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 46 की आराजी सं0 193 रकबा 0.69 है0, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 2/3 हक हिस्से से दर्ज रेकार्ड है। प्रमाणार्थ जमाबन्दी चालु संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 46 की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि वादगत आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा कर रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज [illegible] के काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में खाता संयुक्त होने के कारण [illegible] पैदा होती है तथा सीमाओं को लेकर विवाद रहते है, इस कारण से वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है। इसलिए बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई [illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड्रस से बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग से खाता कायम कराया जाकर के वादी के आराजीयात की अलग से लगान बन्दी कायम कराई जावें।

यह कि बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाना आवश्यक है अगर बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नहीं फरमाई गई तो वादी को अनेक समस्याओं का सामना करना पडेगा।

यह कि वादी के द्वारा दिनांक 03.05.2019 को कुलिया आराजीयात का बंटवाडा कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवाडा कराने से साफ मना कर दिया इसलिए वाद हेतुक दिनांक 03.05.2019 से जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि –

–– पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जाकर के वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जावे एवं कुलिया आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जाकर वादी का हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा कराया जाकर के अलग से खाता बन्दी ओर लगान बन्दी कराई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 13.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 01.04.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 24.01.2024 को बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी जाकर आज दिनांक 13.02.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा ग्राम करूंकडिया पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 46 की आराजी सं0 193 रकबा 0.69 है0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति प्रजापत सा0 कपासन खातेदार

क.स.	**आ0स0**	**रकबा (है0)**	**किस्म**
1	193 मी0	0.46	बारानी 3
योग	**कुल किता–01**	**0.46**	

2. अन्जु पुत्री मोहन 384/2300 जाति ब्राह्मण, मनीषा पुत्री मोहन 383/2300 जाति ब्राह्मण, रतन पुत्र मोहन 191/2300 जाति ब्राह्मण, रतनी पुत्री मोहन 383/2300 जाति ब्राह्मण, शंकरलाल पुत्र नारायण 575/2300 जाति ब्राह्मण, सीमा पुत्री मोहन 384/2300 जाति ब्राह्मण सा0 धमाणा खातेदार

क.स.	**आ0स0**	**रकबा (है0)**	**किस्म**
1	193/1	0.23	बारानी 3
योग	**कुल किता– 01**	**0.23**	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:38 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official